12.14 hrs.

Title: Regarding need for collecting information about the OBCs in the census separately.

SHRI SHARAD PAWAR (BARAMATI): The Census, 2000 is scheduled to begin from the 9th February, 2001 and will be completed on the 20th February, 2001. The Government of India has printed some forms and is going to collect some information through Form A and Form B, as per the past practice.

MR. SPEAKER: The Government side may please take note of this. He is raising a serious issue.

SHRI SHARAD PAWAR (BARAMATI): As per the past practice, they are going to collect information about the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and that is a correct decision. But the Government of India has partly accepted the report of the Mandal Commission under Article 340 (1) of the Constitution.

It has agreed to provide certain reservations in services, in education and in certain other areas to backward classes. Unless and until proper information about backward classes is collected in census forms, I do not think any Government will be able to take a proper decision and will be able to protect the interests of backward classes.

Recently, there is a judgement of the Andhra Pradesh High Court on this. The Andhra Pradesh High Court has directed the Government to collect detailed information about backward classes in processing census so that the backward classes will be able to get representation in various fields.

So, it is my earnest desire that the Government should change the forms so that along with Scheduled Castes and Scheduled Tribes, they collect information about backward classes. I request the Government to give proper justice to the backward classes.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : महोदय, मैंने नोटिस दिया है।â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आपको भी बुलाएंगे।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, सन् 2001 में नौ फरवरी से जो जनगणना होने जा रही है, उसमें इस देश के 52 फीसदी ओबीसी के लोग हैं, जिनके लिए बी.पी. मंडल का रिकमेंडेशन हुआ था। 1978 में बी.पी. मंडल की सिफारिश हुई और 1979 में यह सिफारिश आई। इसके बाद 1992 में सुप्रीम कोर्ट का वरडिक्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने स्पट रूप से 27 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सही ठहराया।â€¦(व्यवधान)

महोदय, जो एससी, एसटी का सेंसस हो रहा है, उसमें 1993-94 में जो अलग से आयोग गठित हुआ था उसने कास्टवाइज़ सेंसस करने का प्रावधान किया था। दुख की बात है कि सेंसस फार्म में ओबीसी के कास्टवाइज़ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्टेटस के बारे में इनफोरमेशन कलेक्ट करने के लिए कोई प्रोविज़न, कॉलम, एंट्री फोरमेट में नहीं है। अत: मैं गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि जो रजिस्ट्रार जनरल एंड कमिशनर ऑफ सेंसस है, उन्हें निश्चित रूप से अविलम्ब आदेश दें। नौ फरवरी को होने वाला जो सेंसस फार्म है उसमें ओबीसी का भी कालम जोड़ें। अन्य पिछड़े वर्गों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए दर्शाने वाला जो कॉलम है, उसे इस सेंसस फार्म में जरूर जोड़ें, अन्यथा संविधान की धारा 337 और 338 की अवहेलना होगी।â€¦(व्यवधान) इसलिए भारतीय संविधान में इस धारा को ध्यान में रखते हुए इसे सेंसस फार्म में निश्चित रूप से जोड़ा जाए।â€¦(व्यवधान)

महोदय, दस साल के बाद सेंसस होता है, इसलिए अगर इस बार सेंसस में, फोरमेट में ईन्ट्री नहीं होगा तो न केवल उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना होगा बल्कि दस साल तक इस देश के 52 फीसदी लोग पीछे रह जाएंगे।â€¦(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो विचार व्यक्त किए गए हैं, उनसे हम पूर्ण तरह से अपनी पार्टी को जोड़ना चाहते हैं। जब तक पूरी तरह से आंकड़े प्रकट न हों, सामने न आए तब तक योजनाबद्ध तरीके से ओबीसी और बैकवर्ड क्लासिस के उत्थान के कार्यक्रम का निर्माण कैसे हो पाएगा। इसलिए यह अति आवश्यक और अनिवार्य है कि सेंसस के प्रोविजन में इस मामले को जोड़ा जाए। ओबीसी के पूरे आंकड़े सामने आएं। उनकी क्या आर्थिक स्थिति है। उनकी जनसंख्या अलग-अलग क्षेत्रों में किस मात्रा में है, यह पूरी इनफोरमेशन और सामग्री हमारे सामने आए ताकि योजनाबद्ध तरीके से उनके उत्थान के कार्यक्रम बन पाए और हम पूरी तरह से इसका समर्थन कर पाएं।

श्री मुलायम सिंह यादव (संभल) : महोदय, माननीय शरद पवार जी ने होने वाली जनगणना के संबंध में पिछडे वर्ग की अलग गणना के संबंध में सवाल उठाया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। नौ फरवरी से होने वाली जनगणना के फार्म में यह है ही नहीं। कि पिछड़े वर्ग की जनगणना अलग से हो, वह अलग-अलग क्षेत्रों में पिछडे वर्ग की संख्या मालूम हो- राज्यवार भी हो और क्षेत्रवार भी हो। यह इसलिए जरूरी है कि जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हो रही हैं तो कैसे पता चलेगा कि इनकी कितनी जनसंख्या है। दूसरी तरफ 27 फीसदी में ही तमाम अन्य जातियों को जोड़ने का भी अभियान जारी है।

हम चाहते हैं कि जिस तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की जनगणना होती है उसी तरह से पिछड़े वर्ग के लोगों की भी जनगणना की जाए। नौ फरवरी का समय निकट आ गया है और सरकार ने अभी तक इसके लिए प्रावधान नहीं किया है। जब तमाम जातियों को पिछडे वर्ग में जोड़ा जा रहा है तो 54 प्रतिशत पिछड़े वर्ग के लोगों का भी आरक्षण होना चाहिए। इसलिए जो जनगणना होने जा रही है उसमें पिछड़े वर्ग के लोगों की कितनी जनसंख्या है और वह कहां-कहां पर कितनी है यह करना उसमें जरूरी है और इसे तत्काल किया जाना चाहिए। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर मंडल आयोग पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों को भी

यह जानना जरूरी है कि उनकी जनसंख्या उस राज्य में कितनी और कहां पर है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से और संसदीय कार्य मंत्री जी चाहते हैं कि वे आश्वासन दें कि 9 फरवरी से जनगणना होने जा रही है उसमें यह भी शामिल किया जाए कि पिछड़े वर्ग के लोगों की जनसंख्या कितनी है।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, I also associate with what Shri Sharad Pawar has said. Census should be as comprehensive as possible. It is a data collection and it helps in formulating the policies. If the data is not available, it would create complications. Therefore, we support it in principle. Information should be as comprehensive as possible. There is no difficulty in collecting that information if the Government takes a decision.

SHRI S. JAIPAL REDDY : As one who supported Mandal Commission Report, I am of the considered view that it is high time, we as a House and as a nation, took a view on the need for organising the census of the backward classes. There is an imperative need for this. Last time when it was done was in 1931. So, for the last seventy years, they have no census in regard to backward classes. It is high time, at the turn of the 20th century, we have this information.

श्री साहिब सिंह (बाहरी दिल्ली) : अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि जब भी जनगणना होती है तो उससे हमें योजना बनाने में मदद मिलती है और उस सर्वे में ओबीसी की जनसंख्या भी पूरी तरह से होनी चाहिए। रिजर्वेशन से भी उसका ताल्लुक है। इसलिए किस राज्य में कितने ओबीसी हैं यह पता होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस सदन का कोई भी सदस्य इस बात से असहमत नहीं होगा।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : अध्यक्ष जी, शिवसेना के नेता और पूर्व सांसद दिवा-पटेल के नेतृत्व में एक डैलीगेशन दिल्ली आया था। सभी नेताओं ने उनसे भेंट की है और जो जनगणना 9 फरवरी से होने जा रही है उसमें एस.सी.एस.टी और जनरल कॉलम छपा है। अध्यक्ष जी, इस समय इस देश में 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग ओबीसी के हैं। जो जनगणना होने जा रही है उस फार्म के अंदर एस.सी.एस.टी के साथ में ओ.बी.सी और जनरल इस तरह से छपा होने का आवश्यकता है। यह इस सदन की मांग है। इसलिए हम गृह मंत्री जी से यह मांग करते हैं कि 9 फरवरी से 28 फरवरी तक जो जनगणना होने जा रही है उसके फार्म को दुरुस्त करते हुए उसमें एस.सी.एस.टी, ओ.बी.सी. एंड जनरल छापा जाए, यह हमारी मांग है।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (CALCUTTA NORTH WEST): Sir, the next census will begin in 2001. The last General Census took place in 1991.

MR. SPEAKER: Please understand, we are not debating the issue.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : The last caste-based census took place in 1931, that was 70 long years back. So, we also associate with what has been mentioned by my predecessors. From 9th February, 2001 in the census form a column for the OBC has to be inserted along with the traditional Scheduled Caste and Scheduled Tribe column so that the upliftment of OBCs in every respect, socially, educationally and economically, becomes distinctly visible.

PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU (TENALI): On behalf of the Telugu Desam Party, I associate myself with the views expressed by Shri Sharad Pawar and other Party Leaders. There is a necessity to have a comprehensive data on the backward classes also, since the data is not available for the past 70 years....(*Interruptions*) In Andhra Pradesh, recently the High Court has directed that to hold elections for the local bodies, there is a need for having a data on BC population...(*Interruptions*) In light of this judgement there is a need to have a comprehensive data on the backward classes also....(*Interruptions*) It is better to have the item included in the census operation and it should also be included along with the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe column in the ensuing census operations which are going to take place in 2001. Thank you.

कुंवर अखिलेश सिंह(महाराजगंज,उत्तर प्रदेश) : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी को सदन में बुलाया जाए और वह यहां आकर स्पटीकरण दें।

अध्यक्ष महोदयः आपको क्या हो गया है, आप क्या कर रहे हैं, आप हाउस को क्या समझते हैं?

...(*Interruptions*)

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, माननीय शरद पवार जी और माननीय मुलायम सिंह जी सहित बहुत से सम्मानित सदस्यों ने जो कहा, मैं अपने को उसी से जोड़ते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स का कानून यहां बन गया है, वैसा ही एक व्यापक कानून ओ.बी.सी. के लिए भी होना चाहिए। जब तक यह कानून नहीं बनेगा, तब तक ठीक ढ़ंग से इसका पालन नहीं हो सकता है। जो सूची और फॉर्म जा रहा है, उसमें ओ.बी.सी. का भी कॉलम होना चाहिए।â€¦ (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Is there any response from the Government?

...(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदयः आप क्या कर रहे हैं?

â€¦(<u>व्यवधान)</u>

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस बारे में कुछ कहना है। â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आपका अलग नोटिस है।

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): Sir, we from the AIADMK Party firmly support this move to take the census of the backward classes. Way back in fifties, Champakam Dariarajan *Vs* State of Tamil Naduâ€¦ (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Please do not go into the details.

SHRI P.H. PANDIYAN : This facilitated the first amendment of the Constitution to bring reservation for the backward classes. The Dravidian Party, especially the Party led by late Dr. MGR and Dr. Puratchi Thalaivi, has ensured 69 per cent reservation for the backward classes. We are proud of it. In the whole of India, Tamil Nadu is the pioneer to protect the interests of the backward classes. So, we request the Government to take the census of the backward classes also.

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, 1931 में अंग्रेजी राज में जो जनगणना हुई थी, उस समय बैकवर्ड क्लासिज को अलग रखा गया था। â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः हम आप से कह रहे हैं कि आप हाउस में शॉऊट मत करिए। यह ठीक नहीं है।

आपको हाउस में शाऊट करने का अधिकार नहीं है।

डा.रघुवंश प्रसाद सिहं : आप हमें मान्यता दीजिए। यह इधर-उधर से खड़े हो जाते हैं। हम भी पार्टी हैं, हमें छोड़कर अन्य को बोलने का पहले मौका दे दिया। प्रोफोर्मा में बैकवर्ड का खाना नहीं बनाया। यह मंडल विरोधी का राज है। जनगणना के प्रोफोर्मा में वह इनसे छूट गया। अब यह पकड़े गये हैं कि ये मंडल विरोधी हैं। नौ फरवरी से जनगणना शुरू होने वाली है। श्री शरद पवार और सभी नेताओं ने कहा है, साबित हो गया है मंडल विरोधी का राज है। इसलिए मंडल कमीशन की अनुशंसा के मुताबिक प्रोफोर्मा में बैकवर्ड लोगों का खाना नहीं दिया जा रहा है। जो 1931 में अंग्रेजी राज में हुआ था।â€¦(व्यवधान)

SHRI ADHI SANKAR (CUDDALORE): Sir, on behalf of DMK Party, I also associate myself with the issue raised by Shri Sharad Pawar regarding census of OBCs.

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, मेरा नोटिस है। एस.सी.एस.टी. के साथ ओ.बी.सी. का सैन्सज भी होना चाहिए। दलित और ओ. बी.सी. के साथ हम यूनिटी करना चाहते हैं, इसलिए हमें बोलने का मौका मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप इनके साथ एसोसिएट कर सकते हैं।

श्री रामदास आठवले : ठीक है, हम भी इनके साथ एसोसिएट करते हैं.â€¦(व्यवधान)

SHRI AMAR ROY PRADHAN (COOCHBEHAR): Sir, I think, in this connection, the Government would consider enumeration of those two lakh Indian citizens also who are living in the Indian enclaves surrounded by Bangladesh...(*Interruptions*)

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री महोदय से अपेक्षा करते हैं कि वह सदन की भावना के अनुरूप घोाणा करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : हम तो विरोधी हैं, आपने सुनने से पहले ही बोल दिया है।â€¦(व्यवधान)

श्री राम सजीवन (बांदा) : अध्यक्ष महोदय, हम भी इस पर बोलना चाहते हैं, अपनी बात अलग से कहना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि इसी पर बोलना चाहते हैं तो आप भी इनके साथ एसोसिएट कीजिए।

श्री राम सजीवन : ठीक है, हम भी एसोसिएट करते हैं और इसका समर्थन करते हैं।

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष जी, मंड़ल आयोग की सिफारिशें इस सदन ने इकठ्ठा होकर एक मत से स्वीकार की थीं। पिछड़ों को आरक्षण देने के विाय में भी सदन के सभी सदस्य सहमत थे और आज जनगणना में पिछड़ों की जनगणना अलग रूप से की जानी चाहिए, इस प्र ाकार का विाय श्री शरद पवार जी और अन्य सदस्यों ने उठाया है। इसमें भी सदन के सत्तापक्ष में हो या विपक्ष में हो, सभी सदस्यों ने उसमें अपना स्वर मिलाया है और यह कहा जा सकता है कि सदन में लगभग एक मत से यह मांग हुई है कि जनगणना में पिछड़ों की अलग से गणना की जाए। जिसके आधार पर हमें समझ आये कि उनकी स्थिति क्या है, संख्या क्या है।

अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं खुद इसमें राजनीति नहीं लाना चाहता, न चाहता था। लेकिन कुछ सदस्यों ने इस प्रकार का आरोप बिना मेरी प्रतिक्रिया सुने ही करना शुरू कर दिया क यह मंडल विरोधी सरकार है।â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing should go on record, except the reply of the Minister.

(Interruptions)*

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष जी, मुझे कारण का पता नहीं है, लेकिन इस सरकार को छोड़ दीजिए, भारत सरकार का जन्म होने से पहले ही जाति के आधार पर जनगणना 1931 में बंद हुई थी। यह 2001 में इस सरकार ने बंद करने का फैसला नहीं किया है, यह 1931 हुआ था। उसके बाद जो-जो सरकारें आई और खासकर जिस सरकार ने मंडल सिफारिश लागू की, जो सरकार हमारे समर्थन से चल रही थी, उसके बाद भी जो जनगणना हुई, उसमें भी जाति निहाय बिना नहीं गया और इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कृपया

*Not Recorded.

राजनीति अगर हम न लाएं तो अच्छा है। मैं सरकार की ओर से इतना ही कह सकता हूं कि नौ फरवरी को जनगणना शुरू हो रही है। शायद उसके फॉर्म्स भी बने होंगे, इसका मुझे पता नहीं है कि क्या स्थिति है और इसमें क्या प्रशासनिक समस्याएं आयेंगी।

50 वार्षों से जो नीति चली आ रही है, उसमें जाति के आधार पर जनगणना नहीं होती है। â€¦(व्यवधान)

आप मुझे बोलने दीजिए। शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज का है, हम जानते हैं और उसके कारण भी जानते हैं। मैं इतना ही आज कह सकता हूं कि आज जाति के आधार पर जनगणना करने की नीति तो नहीं है, लेकिन जब सदन की इतनी बड़ी मांग है तो इस नीति की सरकार फिर से एक बार पुनर्समीक्षा करके देख लेगी कि इसमें क्या संभव है। â€¦(व्यवधान)